

सातवीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2018 - 2019



पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता/त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल

श्रीमती मंजू जाखड़	-	अध्यक्षा
श्रीमती ममता चौधरी	-	निदेशक
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	-	निदेशक
श्रीमती कमला देवी	-	निदेशक
श्री डूंगर सिंह राठौड़	-	निदेशक
श्री सेडमल शर्मा	-	निदेशक
श्री जय सिंह राठौड़	-	निदेशक
श्री सुखपाल जाट	-	निदेशक
श्री नारायण लाल गुर्जर	-	निदेशक
श्री रामचरण जाट	-	निदेशक
डॉ. ओमवीर सिंह	-	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. सी.एल. दाधीच	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	-	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्,
गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर
येस बैंक, जयपुर

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट

लिक इनटार्डिम इंडिया प्रा.लि.
प्लॉट एनएच-2, प्रथम मंजिल,
नोबल हाइट, सी-1 ब्लॉक, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110 058

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर-302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91-141-2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

श्री कपिल पचौरी

आतंरिक अंकेक्षक

मैसर्स अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्,
गुरुग्राम, हरियाणा

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.
1. निदेशकों की रिपोर्ट	1-9
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	10-17
3. वार्षिक लेखा विवरण:	
(अ) 31 मार्च, 2019 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	18
(ब) 31 मार्च, 2019 के लिये लाभ-हानि खाता	19
(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	20
4. लेखांकन टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	21-40
5. वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	41-53
6. उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)	54
7. प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)	55



प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की आठवीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी ने कुल रू. 1429.51 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रू. 13.33 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। आप द्वारा पायस को दी गई दुग्ध की प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर लॉयल्टी इन्सेन्टिव दिया गया है जो आपके विश्वास को सुदृढ़ कर और प्रोत्साहित करेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ने वर्ष 2018-2019 में 8.57 लाख किलोग्राम प्रतिदिन (अधिकतम एक दिन में 12 लाख किलोग्राम) औसतन दुग्ध का संकलन किया जोकि एक रिकॉर्ड है। कम्पनी “पायस” ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध, घी, दही और छाछ इत्यादि उत्पादों का विक्रय किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से उचित सेवार्यें भी दी जा रही है।

कम्पनी द्वारा नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड आनंद से हाइब्रिड नेपियर के स्टेम (कटिंग) लेकर दूध उत्पादकों को मुफ्त में वितरित किये गये जिससे वर्षभर हरा चारा उपलब्ध रहे। कम्पनी ने एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज के सहयोग से आठ मॉडल डेयरी फार्म और अपने स्वयं के संसाधन से चार मॉडल डेयरी फार्म राजस्थान के तीन जिलों (जयपुर, सीकर और अजमेर) में विकसित किए हैं।

कम्पनी ने सदस्यों के लिए “संवाद” कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य दूध उत्पादकों को कम्पनी की जानकारी देना व उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। कम्पनी अपने सभी सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्तित किये दूध का सम्पूर्ण विवरण SMS द्वारा उनके मोबाईल नं. पर भेज रही है।

कम्पनी की उत्तरोत्तर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,

ह./-

(रतन कुमार सिंह)

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते सातवीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल आय	1429.51	1282.05
कुल लागत (व्यय सहित)	1408.77	1256.14
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	20.74	25.91
कर हेतु प्रावधान	7.41	9.07
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	13.33	16.84

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने रु. 1429.51 करोड़ की कुल आय प्राप्त की जो एक रिकार्ड है।

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी की कुल आय रु. 1429.51 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रु. 1282.05 करोड़ की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रु. 1256.14 करोड़ की तुलना में वृद्धि के साथ कुल व्यय रु. 1408.77 करोड़ रहे हैं।

कर के पश्चात् लाभ रु. 13.33 करोड़ रहा है, जिसमें पिछले वर्ष कर के पश्चात् लाभ रु. 16.84 करोड़ की तुलना में डेयरी क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 3.61 करोड़ सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि (जिसमें रु. 61.51 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स सहित) देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2019 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रु. 9.73 करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करने का प्रस्ताव किया है।

संचालन (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 3,256 गाँवों में स्थित 3,502 दुग्ध संकलन केन्द्र से दुग्ध संकलन कर रही है। समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी ने 31.26 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया, जिसमें पिछले वर्ष 27.46 करोड़ लीटर दुग्ध संकलन की तुलना में

14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से, 4.49 करोड़ लीटर गाय का दूध अलग से थोक बिक्री के लिए संकलन किया गया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय कर रही है। पिछले वर्ष पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 286 लाख लीटर व 802 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 306 लाख लीटर व 1160 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री आगे बढ़ेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

विजिट (Visit)

हमे आपको सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि पायस के अनुभव से सीखने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के उच्चाधिकारी ने पायस की विजिट की है।

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

समीक्षा वर्ष के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE) ने कम्पनी को पुनः “AA-” (डबल ए माइनस) रेटिंग दी है। रेटिंग कम्पनी की ऋण पात्रता पर एक सामान्य राय देती है।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी ग्राहकों को गुणवत्ता दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियां
फिट एन फाइन	डबल टोन्ड मिल्क	फैट: 1.5 एस.एन.एफ: 9.0	200ml, 500ml, 1L , 6L
ताजा	टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 एस.एन.एफ: 8.5	500ml, 1L , 6L
गोल्ड	फुल क्रिम मिल्क	फैट: 6.0 एस.एन.एफ: 9.0	500ml, 1L , 6L
चाय विशेष	होमोलाइज्ड टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 एस.एन.एफ: 8.5	200ml, 500ml, 1L, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में दुग्ध का विक्रय करती है।

दही

पायस “दही” का 200 ग्राम और 85 ग्राम के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 400 ml के पैक और मसाला छाछ का 200ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी आधा लीटर (सिक्का पैक), 1 लीटर (सिक्का पैक), 2 लीटर टिन, 5 लीटर टिन एवं 15 किलोग्राम के टिन में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

उत्पाद विकास (Product Development)

मार्केट की उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से, कम्पनी अपने दुग्ध उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी ने अपने “मुद्रिका” ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार BIS Type-II और गोल्ड हाई एनर्जी की लगभग 42452 मैट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की। गत वर्ष की तुलना में इस बिक्री में 56 प्रतिशत की वृद्धि रही। पिछले 5 वर्षों के दौरान, पशु आहार की बिक्री लगभग 5 गुना बढ़ी है।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर (Rajasthan Specific Mineral Mixture and Ration Balancer)

राजस्थान की मिट्टी में खास खनिजों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने “मुद्रिका” ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 86 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और 56 मैट्रिक टन राशन बैलेंसर वितरित किया है।

चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चारा विकास के अन्तर्गत, साईलेज प्रदर्शन, फोडर क्रॉप (थॉर्नलेस कैक्टस, नेपियर घास) का प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति जैसी गतिविधियों की जा रही है।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ते दामों पर गुणवतायुक्त चारा बीज जिसमें रिजका, ज्वार, मक्का, जई और बाजरा के बीजों का वितरण कर रही है। कम्पनी ने नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड (NDDB) आनंद से हाइब्रिड नेपियर के स्टेम लेकर दूध उत्पादकों को मुफ्त में वितरित किये गये जिससे वर्षभर हरा चारा उपलब्ध रहे। समीक्षा अवधि के दौरान कुल 616 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया। भविष्य में, विभिन्न प्रकार के चारे की अन्य किस्में जैसे ड्रमस्टीक्स, फोडर बीट और चाइनीज केबिज आदि की योजना बनाई गई है।

मॉडल डेयरी फार्म (Model Dairy Farm)

मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को सहायता प्रदान कर रही है। समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी ने एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज के सहयोग से आठ मॉडल डेयरी फार्म और अपने स्वयं के संसाधन से चार मॉडल डेयरी फार्म राजस्थान के तीन जिलों (जयपुर, सीकर और अजमेर) में विकसित किए हैं।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी विभाग का मुख्य कार्य सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति शिक्षित और संवेदनशील बनाना तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। पायस ने राजस्थान के पांच जिलों जयपुर, सीकर, टोंक, पाली तथा अजमेर में “सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन किया, जिसमें 18,519 उत्पादकों/सदस्यों ने भाग लिया। 18526 उत्पादकों/सदस्यों को “गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम” के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 6163 महिला दुग्ध उत्पादकों के लिये “महिला जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन किया गया। इन शिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को डेयरी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के प्रति प्रोत्साहित करना था जिसके परिणामस्वरूप दूध की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, 1,576 ग्रामीण युवाओं को “ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम” के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डेयरी के महत्व को समझाकर इसे भावी आजीविका के अतिरिक्त/वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्वीकार करने हेतु प्रोत्साहित करना था और “ग्रामीण बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम” के तहत 418 ग्रामीण बच्चों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की पोषक तत्वों और गुणवत्ता पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें अपने आप को स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में डेयरी उत्पादों का सेवन करने के लिए उत्साहित किया गया।

“संवाद” कार्यक्रम के तहत 580 एम.पी.पी. पर 906 बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कुल 24030 दूध उत्पादकों ने भाग लिया। संवाद का उद्देश्य कम्पनी और उसके कार्यक्रमों के बारे में दूध उत्पादकों को अवगत कराना और उनकी भागीदारी को बढ़ाना है।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुये कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुड़ाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर 2,828 अनौपचारिक विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) बनाए गए, जिसमें 10,645 सदस्य थे और 218 मिल्लक रूट पर अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये, जिसमें 2828 सदस्य शामिल थे। कम्पनी ने सदस्यों के लिए “नेतृत्व विकास कार्यक्रम” का भी आयोजन किया गया जिसमें 85 सदस्यों को नेतृत्व कर्तव्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षित किया गया।

आगे, निदेशक मंडल के सदस्यों को अप्रैल 2018 में खाद्य सुरक्षा और मानक, दिसम्बर 2018 में नीति अभिशासन और मार्च 2019 में टाइम मैनेज्मन्ट और मोटिवेशनल पर प्रशिक्षण दिया गया। एक्सपोजर विजिट के रूप में, बोर्ड के सदस्यों ने पटना में आयोजित 47वीं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।

उप-परियोजना योजना (Sub Project Plan)

कम्पनी ने निम्नलिखित के लिए एन डी डी बी में स्थित, परियोजना प्रबंधन ईकाई को नेशनल डेयरी योजना – फेज प्रथम के तहत चार उप-परियोजनाओं की योजना पेश की थी:

1. ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)
2. राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर बी पी) (Ration Balancing Programme)
3. व्यवहार कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप, (Pilot Model For viable Artificial Insemination Delivery (AI)
4. चारा विकास (Fodder Development) (मार्च 2017 में सम्पन्न)

परियोजना प्रबंधन ईकाई ने नेशनल डेयरी प्लान-फेज प्रथम के तहत ऊपर दी गई सभी उप-परियोजना योजनाओं के लिये अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। सभी चार योजनाओं को कम्पनी राजस्थान के पाँच संचालन जिलों जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली एवं टोंक में कार्यान्वित किया गया है। उपरोक्त उप-परियोजना योजना का संचालन 31 मार्च, 2019 को सम्पन्न हो गया है।

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली का उद्देश्य दुग्ध संकलन, जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण सत्रों का संचालन तथा अन्य ऐसी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न हितधारकों की समस्याओं को बढ़ाते हुए कम्पनी को मजबूत करना है। इसका ध्येय एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी दुग्ध संकलन एकत्रिकरण तंत्र स्थापित करना और सदस्यों को उचित व यथासमय भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली द्वारा लघु कृषकों की पहुँच पूरे साल संगठित डेयरी बाज़ार तक बनाये रखकर उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

कम्पनी ने उप-परियोजना योजना (एस.पी.पी.) के क्षेत्र में स्थित 2811 गाँवों से 719 TKgPD दुग्ध का संकलन किया।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर बी पी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कम्पनी ने 2,700 गाँवों तक राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं को पहुँचाने के लिए नेटवर्क विकसित किया है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में मदद की है। कम्पनी ने उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

कम्पनी ने 1566 (cumulative) लोकल रिसोर्स पर्सन (LRP) का परिनियोजन किया है, जिन्होंने 2766 (cumulative) गाँवों के 1,99,470 (cumulative) जानवरों के लिए राशन बैलेंसिंग का कार्य किया है।

व्यवहार कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप

(Pilot model for viable Artificial Insemination delivery (AI))

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात एन डी डी बी के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जांच, 90 दिनों के बाद गर्भाधारण की जांच एवं पशु के ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कर वास्तविक अनुभव ग्रहण करने हेतु उचित कार्यक्षेत्र में भेजा जाता है। पूर्ण प्रशिक्षण पश्चात उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान कर दुग्ध उत्पादकों के घर तक उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित केन्द्र पर नियुक्त किया जाता है, प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु मैट मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) की उस क्षेत्र में जिसमें लगभग 20 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आते हैं, की नियुक्ति की जाती है। एक वेटरनरी एक्जीक्यूटिव प्रत्येक क्षेत्र का प्रबंध करता है। एक पशु प्रजनन अधिकारी लगभग 8 वेटरनरी एक्जीक्यूटिव को तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता प्रदान करता है।

कम्पनी ने 450 केन्द्रों के माध्यम से 3758 गाँव में लगभग 2,89,870 (प्रथम AI फोलो-अप में 45 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता) AI की है।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यानाकर्षण का क्षेत्र रहा है। हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुग्ध जांच उपकरणों से सुसज्जित है। दुग्ध जांच उपकरण जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, ऑवन, आर.एम. जांच उपकरण, बी. आर मीटर, रेमी सेन्ट्रफ्यूज मशीन, सोडियम विश्लेषक और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है। गाय के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए सात अवशीतन केन्द्रों पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे इच्छुक खरीदारों को अच्छी गुणवत्ता का दुग्ध की आपूर्ति की जा सके। पद्धति उन्नतीकरण जैसे अधिक दुग्ध आने वाले शीतलन केन्द्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, प्रयोगशाला का विस्तार, दुग्ध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुग्ध शीतलन केन्द्र की स्थापना जैसे - ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

केमिस्ट तथा एमसीसी इन्चार्ज के कौशल सुधार हेतु बाह्य प्लांट विजिट के साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

निदेशक (Directors)

श्री अनिल कुमार और श्री मेवाराम बैरवा, कम्पनी के निदेशक के पद से 10 सितम्बर, 2018 को सेवानिवृत्त हुए। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता है।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, श्री रामचरण जाट को 10 सितंबर, 2018 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

डॉ. सी. एल. दाधीच को विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 29 नवम्बर, 2018 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया।

डॉ. ओमवीर सिंह को विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 26 मई, 2019 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुनः नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षता एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सदस्यों द्वारा संरक्षता के मानदण्ड पूरे करने के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी के सदस्य क्रमशः 7%, 16% और 77% थे। तदनुसार, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी-ए में 4 निदेशक, श्रेणी-बी में 3 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 4 निदेशक होती हैं। कम्पनी, अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :-

श्रेणी-ए के निदेशक

संरक्षता मापदंडों के आधार पर बोर्ड में श्रेणी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री सुशील कुमार वैष्णव “श्रेणी ए” के प्रतिनिधि हैं को “श्रेणी ए” के रिक्त स्थान पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

निदेशक की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यता का विवरण कम्पनी की आठवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्रह हैं। कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी ए के कुल 3 निदेशक हो जायेंगे। एक पद रिक्त रहेगा।

श्रेणी-बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक है इसलिये आठवीं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी बी में कोई सेवानिवृत्ति /चुनाव नहीं हैं।

श्रेणी-सी के निदेशक

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती कमला देवी, कम्पनी की निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगी और स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए अनिच्छा (Unwillingness) अभिव्यक्त की है और जिसके परिणामस्वरूप श्रेणी ए में यह पद रिक्त है।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री सेडमल शर्मा और श्री जय सिंह राठौड़, कम्पनी के निदेशक, “श्रेणी सी” के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिये प्रस्तुत करते हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने उनके पुनः नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की आठवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्रह हैं। कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी सी के कुल 4 निदेशक हो जायेंगे।

सदस्यता/वोटे देने का अधिकार/अंश पूंजी

31 मार्च, 2019 को प्रदत्त अंश पूंजी रु 37.40 करोड है, जबकि कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 104741 सदस्य दर्शाये गये हैं। इस समीक्षा अवधि के दौरान 23011 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नहीं करने के कारण निरस्त/समर्पण कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2019 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 10469 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 9189 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मापदण्ड पूरे नहीं करने और अन्य कारणों से निरस्त/समर्पण कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 1,06,021 है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी से सम्बन्धित संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें। जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में दर्शाये गये 104741 सदस्यों में से 42945 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्र में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 9533 सदस्य, जिन्होंने वोट करने का अधिकार के लिए आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होंने अपने श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नहीं कर सकते हैं। शेष 52263 सदस्यों में से 9188 सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है और शेष 43075 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान न्यूनतम 200 दिन में कम से कम 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति नहीं करने के कारण आठवीं वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है।

नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2019 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, वे वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लाभांश एवं आठवीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2AA) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल इसके सदस्यों को सूचित करता है कि:-

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
- कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति (Internal Control System)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF की अनुपालना में मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया है जोकि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते हैं।

अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने के कारण उनकी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुनःनियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224(1बी) के प्रावधानों के अनुसार होगी।

आपके निदेशकों ने मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में पुनः नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

जमा (Deposits)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के संदर्भ में, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर यथोचित रूप से लागू होंगे, जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 निरस्त नहीं किया गया, जब तक उनके लिए एक विशेष अधिनियम नहीं बनाया जाता है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये, 25 नवम्बर, 2015 और 9 मार्च, 2016 को CSR प्रावधानों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिकता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कम्पनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), नई दिल्ली के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व दाखिल किया है। MCA से स्पष्टीकरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। MCA से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर CSR प्रावधानों का अनुपालन प्रारम्भ किया जाएगा।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2A) के प्रावधानों को कम्पनीज (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़े जाने के संदर्भ, कर्मचारियों का आवश्यक विवरण अनुलग्नक-ए के रूप में इस रिपोर्ट में उल्लेखित है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(e) के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कम्पनी नियम, 1988 के साथ पढा जाये:

- कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते हैं, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

वास्ते निदेशक मंडल

ह./-

(मंजू जाखड़)

अध्यक्षा एवं निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 2 अगस्त, 2019

निदेशको की रिपोर्ट का अनुलग्नक-अ

(i) पूरे वित्तीय वर्ष में कार्यरत है									
क्रं. सं.	नाम	पद/कार्य का स्वरूप	योग्यताएं	अनुभव (वर्षों)	नियुक्ति की दिनांक	नियुक्ति का स्वरूप	कुल पारिश्रमिक वार्षिक (रू. में)	आयु	पूर्व नियुक्ति/स्थिति
1.	श्री रतन कुमार सिंह	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी	पी.जी.डी.आर. डी.एम- ईरमा बी.एस.सी. (डेयरी टेक्नोलॉजी)	37	01.06.2015	स्थायी	64,43,603/-*	57	मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल लिमिटेड
(ii) वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए नियुक्त									
									NIL

* दिनांक 21.06.2019 को आयोजित बैठक में बोर्ड के द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित Performance linked incentive (PLI) की राशि शामिल है।

पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
सदस्यों के लिये स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय (Opinion)

हमने पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2019 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं एवं अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों को कम्पनीज (लेखा मानकों) नियम, 2006 एवं संशोधित (“लेखा मानकों”) के साथ पढ़े जाने के संदर्भ में, 31 मार्च, 2019 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समाप्त तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते हैं।

राय (Opinion) के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट

- कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जोकि लेखांकन मानकों एवं आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हों।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।
- वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कम्पनी की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण की देख-रेख, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं, जिन वित्तीय विवरणों के लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, (i) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। (ii) एकल (standalone) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते हैं।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ

अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते है कि :-
 - (अ) हमने वे सभी सूचनार्यें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।
 - (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।
 - (य) 31 मार्च, 2019 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2019 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 - (र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट “अनुलग्नक अ” को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।
 - (ल) अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतू अन्य मामलों के संबंध में,
हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नहीं होती है।
 - (स) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएँ तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:-
 - i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो - वित्तीय विवरणों के नोट 26 को देखें।
 - ii. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।
 - iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किए जाने वाली कोई भी राशि नहीं है।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश/ CARO 2016) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण “अनुलग्नक ब” में दिया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्दों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगे जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थे जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमने विवरण “अनुलग्नक स” में दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 2 अगस्त, 2019

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक-“अ”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 3(f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हें लागु करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (“दशानिर्देश लेख”) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख-रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की संपत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2019 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक- “ब”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की संपत्ति, प्लांट और उपकरण के संबंध में :-

- अ. कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।
 - ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबंधन के द्वारा संपत्ति, प्लांट और उपकरण का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्ति, प्लांट और उपकरण के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
 - स . हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी ने लीज पर ली गई भूमि पर भवन का निर्माण किया है और लीज अनुबन्ध कम्पनी के नाम से है।
- (ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबंधन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
- (iii) कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत्त किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।
- (iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी प्रदान नहीं की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vi) कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vii) वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :-

- अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क जैसा कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।
- ब. 31 मार्च, 2019 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।
- स. आय कर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवाकर की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2019 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।

- (viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों के ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है। कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।
- (ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (ix) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।
- (xi) कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागू हों, संबंधित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा संबन्धित पक्षकारों के संपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।
- (xiv) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में पंजीकृत है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर-नकदी व्यवहार नहीं किये हैं अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 02 अगस्त, 2019

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक-“स”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 15 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।
2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेश प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
3. 31 मार्च, 2019 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।
4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरुद्ध हो।
5. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.स. विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1. व्यवसाय से आय	19	14,231,475,635	12,786,356,755
2. अन्य आय	20	63,706,628	34,204,469
3. कुल आय (1+2)		14,295,182,263	12,820,561,224
4. व्यय			
(अ) व्यवसायिक माल का क्रय	21	12,962,240,045	11,609,200,619
(ब) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	22	(2,509,258)	(21,959,851)
(स) कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	23	97,079,014	84,059,329
(द) वित्त लागत	24	33,848,434	60,870,554
(य) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	12	35,889,748	34,324,508
(र) अन्य व्यय	25	961,164,508	794,912,157
कुल व्यय		14,087,712,491	12,561,407,316
5. कर पूर्व लाभ(3-4)		207,469,772	259,153,908
6. कर व्यय			
(अ) चालू कर		76,000,000	92,100,000
(ब) स्थगित कर शुल्क/(जमा)(Deferred Tax Charge/(Credit))		(2,051,233)	(1,341,998)
(स) पूर्व वर्षों से संबंधित अल्प (Short) प्रावधान		184,276	-
शुद्ध कर व्यय		74,133,043	90,758,002
7. वर्ष का लाभ (5-6)		133,336,729	168,395,906
8. प्रति समता अंश आय:	31		
(न्यूनतम मूल्य रु.100/- प्रति शेयर)			
(अ) मूल		40.48	56.80
(ब) डायल्यूटेड		40.47	56.79

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. डब्ल्यूमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

ह./-

मंजू जाखड़
निदेशक

ह./-

अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-

सुखपाल जाट
निदेशक

ह./-

कपिल पचौरी
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

ह./-

रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	कर से पूर्व लाभ	207,469,772	259,153,908
	समायोजन के लिये :		
	वित्त लागत	33,845,682	59,734,310
	ब्याज से आय	(48,354,984)	(21,659,296)
	मूल्य हास तथा क्षति संबंधी व्यय	35,889,748	34,324,508
	संपत्ति, प्लॉट और उपकरण की बिक्री/वसूली पर लाभ	(2,685,496)	150,290
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	226,164,722	331,703,720
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(2,509,258)	(21,451,985)
	व्यापारिक लेनदारियों में कमी/(वृद्धि)	(90,965,630)	(346,429,434)
	अन्य चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	64,728	(64,728)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(5,248,095)	197,843
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	16,598,643	(25,165,370)
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में (कमी)/वृद्धि	5,308,187	5,931,039
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी)/वृद्धि	188,910,630	28,925,050
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/वृद्धि	101,751,637	3,301,644
	व्यवसाय से उत्पन्न/(उपयोग) रोकड़	440,075,566	(23,052,222)
	शुद्ध आय कर (भुगतान) / वापसी	(102,269,888)	(76,097,077)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (अ)	337,805,678	(99,149,299)
ब.	निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) जोकि		
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं	(13,191,134)	(15,289,049)
	संपत्ति, प्लॉट और उपकरण पर पूंजीगत व्यय		
	(प्राप्त पूंजीगत अनुदान का शुद्ध)	(4,470,198)	(3,243,898)
	प्राप्त ब्याज	35,680,166	15,185,466
	संपत्ति, प्लॉट और उपकरण की बिक्री/वसूली पर प्राप्ति	2,860,949	-
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (ब)	20,879,782	(3,347,481)
स.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	समतता अंश जारी करने से प्राप्ति	29,210,500	26,314,200
	अंश आवेदन हेतु प्राप्त राशि	19,516,650	5,919,000
	प्रतिभूति (Security) प्रीमियम से प्राप्ति	39,937,550	44,267,950
	कार्यशील पूंजी ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(14,359,458)	8,937,760
	लाभांश का भुगतान लाभांश कर सहित	(36,774,791)	(29,583,756)
	वित्त लागत भुगतान	(35,749,172)	(55,374,862)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (स)	1,781,279	480,292
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(अ+ब+स)	360,466,740	(102,016,488)
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	438,047,681	540,064,169
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	798,514,421	438,047,681
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	212,344,762	103,896,437
	जमा खातों में	586,169,659	334,151,244
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	798,514,421	438,047,681
	जोड़िये : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं	222,658,395	209,467,261
	चिट्ठे के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 16)	1,021,172,816	647,514,942

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. बिड्डीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर
दिनांक : 02 अगस्त, 2019

ह./-
सुखपाल जाट
निदेशक

ह./-
कपिल पचौरी
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 02 अगस्त, 2019

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (“कम्पनी”) का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं घी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ़ैश एवं पशु के सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार है:-

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 133 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम 2013”)/कम्पनी अधिनियम 1956 (“अधिनियम 1956”) के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये है। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जब तक की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर दिया जाता है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों (अनिश्चित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित है। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल है। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते है (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते है तथा जिन्हे किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चों, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है।

f. अन्य आय

जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

g. संपत्ति, प्लांट और उपकरण (मूर्त/अमूर्त)

संपत्ति, प्लांट और उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण को उनकी लागत में से संचित ह्रास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्च जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्च तथा संपत्ति, प्लांट और उपकरण क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्च जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को उनकी अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन और क्षति को कम करने के उपरांत दर्शाया गया है। अमूर्त संपत्ति मान्यता प्राप्त है, जहाँ यह संभावना है कि संपत्ति के कारण व्यवसाय को भविष्य के आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और जहाँ इसकी लागत को स्थिरता से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की परिशोधन राशि को एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके उपयोगी अस्तित्व के सर्वोत्तम अनुमान पर आवंटित किया जाता है।

कम्पनी सॉफ्टवेयर लागत का पूंजीकरण करती है जहाँ उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर का एक उपयोगी अस्तित्व है। सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के उपयोगी अस्तित्व के अनुमान के आधार लगाया गया है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्च और आरोग्य ब्याज की राशि शामिल है।

i. मूल्य ह्रास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास/परिशोधन सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अतीत का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिक आश्वासन एवं रख-रखाव समर्थन आदि के आधार पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

मूल्य-ह्रास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:-

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)
बिल्डिंग	10
प्लांट एवं उपकरण	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	3
ऑफिस उपकरण	10
ट्रेड मार्क	5

मूल्य-ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

सभी एकल संपत्तियाँ जिनकी लागत रू. 5,000/- या इससे कम है उन पर पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण मूल्य ह्रास लगाया जाता है।

j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन एवं अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निर्धारण भारत औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्च सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गये हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य-हास संबंधित संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान के तरह माना जाता है तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

l. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ-हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(b) निर्धारित लाभ योजनायें।

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ-हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(c) अल्प-कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है। जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की संभावना है।

(d) दीर्घ-कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समाप्त के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारत औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात् के लाभों को भारत औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारत समता अंशों की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता की अंशों संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर-शोषित-मूल्य हास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य हास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

o. ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता है। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्च मानकर लाभ-हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता है।

p. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातों में आय के रूप में माना जाता है।

q. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतों का बर्हिगमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखा नोटस में दर्शाया जाता है।

r. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ-हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

s. महत्वपूर्ण घटनायें

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण समायोजन घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

t. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2019 को स्थिति		31 मार्च 2018 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि (₹में)	अंशों की संख्या	राशि (₹में)
3.	अंश पूंजी				
	(अ) अधिकृत अंश पूंजी				
	प्रति समता अंश राशि ₹. 100/-	5,000,000	500,000,000	3,500,000	350,000,000
	(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी				
	प्रति समता अंश राशि ₹. 100/-	3,740,684	374,068,400	3,389,389	338,938,900

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कंपनी ने एक श्रेणी के ₹. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकारी है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान:

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
		अंशों की संख्या	राशि (₹में)	अंशों की संख्या	राशि (₹में)
	वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त अंश	3,389,389	338,938,900	3,072,484	307,248,400
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	351,295	35,129,500	316,905	31,690,500
	(वर्ष के दौरान निरस्त और पुनः जारी किये गये समता अंशों के पश्चात्)				
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	3,740,684	374,068,400	3,389,389	338,938,900

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूंजी नहीं है।

पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
4. संचित एवं अधिशेष		
(अ) सामान्य संचय		
प्रारम्भिक शेष	394,367,316	262,746,201
जोड़िये : लाभ एवं हानि विवरण		
मे अधिशेष से अंतरित	97,259,988	131,621,115
अंतिम शेष	491,627,304	394,367,316
(ब) लाभ-हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारम्भिक शेष	36,774,791	29,583,756
जोड़िये : वर्ष का लाभ	133,336,729	168,395,906
घटाईयें :		
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को (₹.9/- प्रति समता अंश) अंतिम सीमित प्रतिफल (डीविडेंड)	30,504,501	24,579,872
उपरोक्त सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर	6,270,290	5,003,884
सामान्य संचय में अंतरित	97,259,988	131,621,115
अंतिम शेष	36,076,741	36,774,791
(स) प्रतिभूति प्रीमियम		
प्रारम्भिक शेष	44,267,950	-
जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	39,937,550	44,267,950
अंतिम शेष	84,205,500	44,267,950
	611,909,545	475,410,057
5. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)		
प्रारम्भिक शेष	161,962,132	233,972,742
वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान का उपयोग (नोट 32 को देखें)	657,850	620,695
घटाईये : अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (नोट 12 को देखें)	58,226,088	72,631,305
अंतिम शेष	104,393,894	161,962,132

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
6. स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		
(Deferred tax liability (Net))		
(अ) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का हिस्सा है :		
(i) संपत्ति, प्लांट और उपकरण के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	363,575	2,455,938
	363,575	2,455,938
(ब) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर संपत्तियों का हिस्सा है :		
(i) आयकर अधिनियम की धारा 40(a)(i)(a) के अंतर्गत अस्वीकृत।	-	41,131
	-	41,131
शुद्ध स्थगित कर दायित्व/(संपत्तियां)	363,575	2,414,807
7. अन्य दीर्घकालीन दायित्व		
(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	107,831,200	102,523,013
	107,831,200	102,523,013
8. अल्पकालीन ऋण		
(अ) असुरक्षित ऋण		
(i) बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	941,049,494	955,408,952
	941,049,494	955,408,952
9. व्यावसायिक देनदारियाँ		
(अ) व्यावसायिक देनदारियाँ (स्वीकृतियों को छोड़कर)		
(नोट 34 को देखें)	701,839,773	512,929,143
	701,839,773	512,929,143

पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
10. अन्य चालू दायित्व		
(अ) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि एवं लौटाने योग्य	15,757,030	18,824,010
(ब) अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं	6,491,831	8,395,321
(स) अदत्त/बिना दावे का (Unclaimed) लांभाश	5,818,528	6,263,436
(द) वैधानिक देय (भविष्य निधि में योगदान, रोका हुआ कर, टी.डी.एस., जी.एस.टी. आदि)	5,616,867	3,862,595
(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	15,687,254	10,557,329
(र) एन.डी.डी.बी. को देय-अप्रयुक्त अनुदान	98,379,329	-
	147,750,838	47,902,691
11. अल्पकालीन प्रावधान		
(अ) आयकर हेतु प्रावधान (शुद्ध अग्रिम कर रू. Nil, पिछले वर्ष रू. 7,71,83,962)	-	16,002,923
	-	16,002,923

पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

12. संपत्ति, प्लान्ट और उपकरण

(राशि ₹ में)

विवरणियाँ	सकल ब्लॉक		संचित मूल्य द्वारा / क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2018 को स्थिति	वृद्धि	निकासन	31 मार्च 2019 को स्थिति	01 अप्रैल, 2018 को स्थिति	वर्ष के लिये निक्सस पर हानि	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
(अ) मूर्त संपत्तियां (स्वयं की)								
बिल्डिंग	7,204,318	-	-	7,204,318	4,735,701	303,067	2,165,550	2,468,617
(फिखले वर्ष)	(6,830,618)	(373,700)	(-)	(7,204,318)	(4,058,934)	(676,767)	(2,468,617)	(2,771,684)
प्लान्ट एवं उपकरण	431,340,780	38,820,058	2,409,412	467,751,426	182,561,357	52,204,830	235,219,198	248,779,423
(फिखले वर्ष)	(420,325,987)	(11,320,604)	(305,811)	(431,340,780)	(133,989,099)	(48,732,967)	(248,779,423)	(286,336,888)
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स	23,278,629	20,650	168,958	23,130,321	21,768,628	146,754	1,383,897	1,510,001
(फिखले वर्ष)	(23,241,255)	(47,908)	(10,534)	(23,278,629)	(21,411,113)	(362,860)	(1,510,001)	(1,830,142)
ऑफिस उपकरण	6,458,043	91,863	-	6,549,906	2,425,426	674,408	3,450,072	4,032,617
(फिखले वर्ष)	(6,458,043)	(-)	(-)	(6,458,043)	(1,818,705)	(606,721)	(4,032,617)	(4,639,338)
कम्प्यूटर्स	81,579,801	63,720	161,217	81,482,304	75,179,054	5,890,954	573,513	6,400,747
(फिखले वर्ष)	(81,698,940)	(-)	(119,139)	(81,579,801)	(59,544,654)	(15,753,539)	(6,400,747)	(22,154,286)
योग(अ)	549,861,571	38,996,291	2,739,587	586,118,275	286,670,166	59,220,013	242,792,230	263,191,405
गत वर्ष	(538,554,843)	(11,742,212)	(435,484)	(549,861,571)	(220,822,505)	(66,132,854)	(263,191,405)	-
(ब) अमूर्त संपत्तियां (स्वयं के अलावा अन्य अर्जित)								
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	134,067,893	1,957,307	-	136,025,200	85,164,837	34,895,823	15,964,540	48,903,056
(फिखले वर्ष)	(133,436,698)	(631,195)	(-)	(134,067,893)	(44,355,430)	(40,809,407)	(48,903,056)	(89,081,268)
ट्रेड मार्क	90,000	-	-	90,000	90,000	-	90,000	-
(फिखले वर्ष)	(90,000)	(-)	(-)	(90,000)	(76,449)	(13,551)	(90,000)	(13,551)
योग(ब)	134,157,893	1,957,307	-	136,115,200	85,254,837	34,895,823	15,964,540	48,903,056
गत वर्ष	(133,526,698)	(631,195)	(-)	(134,157,893)	(44,431,879)	(40,822,958)	(48,903,056)	-
(स) प्राप्ति अधीन पूंजीगत कार्य								
योग(स)	-	-	-	-	-	-	-	35,825,550
								35,825,550

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट्स :

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि ₹ में)	
मूल्य हास एवं क्षति संबंधी खर्चें	59,220,013
मूर्त संपत्तियों पर	34,895,823
अमूर्त संपत्तियों पर	58,226,088
घटाईएँ : अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य हास	35,889,748

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(राशि ₹ में)

66,132,854
40,822,958
72,631,305
34,324,508

(i) मूल्य हास एवं क्षति संबंधी खर्चें

मूर्त संपत्तियों पर

अमूर्त संपत्तियों पर

घटाईएँ : अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य हास

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त सारणी में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 32 को देखें) :-

(राशि ₹ में)

संपत्तियां	सकल ब्लॉक		संचित मूल्य हास / क्षति		शुद्ध ब्लॉक			
	01 अप्रैल, 2018 को स्थिति	वृद्धि	निष्कासन	31 मार्च 2019 को स्थिति	01 अप्रैल, 2018 को स्थिति	वर्ष के लिये निष्कासन पर हानि	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
मूर्त संपत्तियां :-								
बिल्डिंग	3,190,183	-	-	3,190,183	721,564	-	2,165,552	2,468,619
प्लॉट एवं उपकरण	152,730,727	16,524,208	168,958	169,085,977	64,485,040	168,958	85,163,074	88,245,686
ऑफिस उपकरण	4,888,788	-	-	4,888,788	1,813,426	-	2,274,664	3,075,362
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	19,775,233	-	-	19,775,233	19,232,038	-	19,277,170	543,195
कम्प्यूटर्स	72,930,046	-	-	72,930,046	68,461,899	-	72,866,261	4,468,147
अमूर्त संपत्तियां	130,233,393	-	-	130,233,393	82,789,361	-	116,194,830	47,444,032
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	383,748,370	16,524,208	168,958	400,103,619	237,503,328	58,226,088	295,560,457	146,245,041
योग								

पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2019 को स्थिति	(राशि ₹ में) 31 मार्च 2018 को स्थिति
13. दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
(अ) प्रतिभूति जमा	5,672,145	292,850
(ब) पूर्वदत्त व्यय	-	131,200
(स) अग्रिम कर (प्रावधानों का शुद्ध रु. 25,40,26,612; पिछले वर्ष रु. 17,80,26,612)	16,907,435	6,824,745
	22,579,580	7,248,795
14. स्टॉक (लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
(अ) स्टॉक इन ट्रेड	62,384,208	75,409,951
(ब) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	66,416,651	50,881,651
	128,800,859	126,291,602
15. व्यावसायिक लेनदारियाँ (असुरक्षित, उचित मानी गईं)		
(अ) देय तिथि से 6 माह की कम अवधि के लिए बकाया	1,526,480,773	1,435,515,143
	1,526,480,773	1,435,515,143
16. रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य (अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
(i) बैंक में जमा :		
(अ) चालू खातों में	212,344,762	103,896,437
(ब) जमा खातों में -वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से कम रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार	586,169,659	334,151,244
	798,514,421	438,047,681
(ब) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	194,264,316	182,052,623
(ii) बैंक ऋण के सम्मुख प्रतिभूति के रूप में शेष	22,575,551	21,151,202
(iii) निर्धारित खातों में -अदत्त लाभांश खातों	5,818,528	6,263,436
	1,021,172,816	647,514,942

नोट:

- (i) बैंक में शेष राशि जमाओं सहित 2,48,12,000 (पिछले वर्ष रु. 1,05,85,685) इस प्रकार की राशि है, जिसकी परिपक्वता अवधि आर्थिक चिट्ठे की तिथि से 12 माह से अधिक है।
- (ii) रु. 2,25,75,551 (पिछले वर्ष रु. 2,11,51,202) की सावधि जमा बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए प्रतिभूत की गई है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
17.	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	20,202	44,110
	(ब) गेच्युटी फंड (दायित्वों का शुद्ध रू. 11,045,996, पिछले वर्ष रू. 78,55,495)	1,473,519	465,443
	(स) अवकाश का नकदीकरण फंड (दायित्वों का शुद्ध रू. 77,68,975 पिछले वर्ष रू. 53,56,656)	4,923,848	3,141,687
	(द) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,670,998	7,183,482
	(य) पूर्वदत्त व्यय	5,141,007	3,070,730
	(र) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	13,796,111	11,390,454
	(ल) एन.डी.डी.बी. से प्राप्त अनुदान (नोट 32 देखें)	1,366,600	19,695,022
		28,392,285	44,990,928
18.	अन्य चल संपत्तियाँ		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	22,540,286	9,865,469
	(ब) अन्य प्राप्ति	-	64,728
		22,540,286	9,930,197
19.	व्यवसाय से आय		
	(अ) उत्पादों की बिक्री		
	(i) सकल विक्रय	15,300,442,380	13,843,002,719
	(ii) घटाईये : पुनः क्रय के लिए थर्ड पार्टी (दुग्ध प्रोसेसर) को विक्रय (निर्दिष्ट नोट संख्या (i) देखें)	1,068,966,745	1,056,645,964
	(iii) शुद्ध विक्रय	14,231,475,635	12,786,356,755
	नोट: (i) दुग्ध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुनः क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।		
	विक्रय किये गये उत्पाद		
	(ii) व्यावसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुग्ध	11,959,560,049	10,881,275,170
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	1,119,394,143	1,059,131,063
	(स) अन्य दूध उत्पादक	83,134,713	52,076,849
	(द) घी	343,709,053	295,569,628
	(य) पशु आहार	713,110,055	487,012,282
	(र) सीमेन	12,567,622	11,291,763
	कुल	14,231,475,635	12,786,356,755
20.	अन्य आय		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	48,354,984	21,659,296
	(ब) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	2,050,467	1,378,573
	(ii) दायित्व जिसे वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है।	4,853,719	-
	(iii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ	2,685,496	-
	(iv) विविध आय	5,761,962	11,166,600
		63,706,628	34,204,469

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
21. व्यवसायिक माल का क्रय		
(अ) कच्चा दुग्ध	10,736,676,538	9,741,747,322
(ब) पॉली पैक दुग्ध	1,043,827,706	1,030,746,406
(स) घी	398,186,301	311,278,009
(द) पशु आहार	697,089,604	463,784,495
(य) अन्य दूध उत्पादक	74,474,016	51,700,609
(र) सीमेन	11,985,880	9,943,778
	12,962,240,045	11,609,200,619
22. तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन		
तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में कमी/(वृद्धि)		
(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	75,409,951	19,666,898
तैयार माल	-	50,053,321
स्टॉक इन ट्रांजिट	50,881,651	34,611,532
	126,291,602	104,331,751
(ब) वर्ष के समापन पर स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	62,384,208	75,409,951
तैयार माल	-	-
स्टॉक इन ट्रांजिट	66,416,651	50,881,651
	128,800,859	126,291,602
स्टॉक में शुद्ध कमी या (वृद्धि)	(2,509,258)	(21,959,851)
23. कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय		
(अ) वेतन एवं मजदूरी	83,339,808	72,908,305
(ब) भविष्य व अन्य निधियों में योगदान	9,437,188	7,069,416
(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	4,302,018	4,081,608
	97,079,014	84,059,329

पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
24. वित्त लागत		
(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	33,845,682	59,734,310
(ब) वैधानिक देय भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	2,752	1,136,244
	33,848,434	60,870,554
25. अन्य व्यय		
(a) स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	8,729,225	7,832,268
(b) पॉवर एवं फ्यूल	2,428,298	2,293,741
(c) दुग्ध अवशीतन शुल्क	138,282,555	122,010,501
(d) किराया	6,757,193	6,430,726
(e) दर तथा कर	-	192,470
(f) मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	5,634,113	5,193,718
(g) मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	46,536,759	36,381,702
(h) मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	1,255,345	1,335,102
(i) विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	43,646,377	28,678,212
(j) भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	548,619,737	445,783,393
(k) बीमा भार	4,154,744	3,082,290
(l) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	28,909,906	27,477,720
(m) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	1,842,703	1,628,577
(n) यात्रा एवं परिवहन व्यय	14,897,616	13,092,962
(o) प्रशिक्षण व्यय	3,669,618	3,172,685
(p) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	76,714,657	63,351,770
(q) संप्रेषण व्यय	15,421,455	12,001,580
(r) संपत्ति, प्लांट और उपकरण के विक्रय पर हानि	-	150,290
(s) विविध व्यय	13,664,207	14,822,450
	961,164,508	794,912,157
नोट:		
(i) अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है :		
(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	1,280,000	1,180,000
(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	200,000	175,000
(स) खर्चों की प्रतिपूर्ति	81,613	25,150
(द) उपरोक्त पर कर	281,090	248,427
	1,842,703	1,628,577

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

क्र. विशिष्टियाँ स.	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
26. आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धतायें		
अ. आकस्मिक दायित्व		
(a) कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
(i) मुकदमों के अंतर्गत उपभोक्ता दावें	1,455,575	836,500
ब. प्रतिबद्धतायें		
पूँजी खातों पर निष्पादित होने वाले शेष सविदा के अनुमानित राशि और प्रदान नहीं किया गया (शुद्ध अप्रिमों का भुगतान रू. Nil)	-	937,793

27. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 02 अगस्त, 2019 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रू. 2,99,25,472 (रू. 8 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है। समता लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा तथा वित्तीय विवरणों में दायित्वों के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित समता लाभांश पूर्ण प्रदत्त अंशों के सभी धारकों को देय है। कुल समता लाभांश और उस पर टैक्स की राशि क्रमशः रू. 2,99,25,472 और रू. 61,51,269 है।

28. कम्पनी ने अपने सदस्यों से रू. 1,95,16,650 की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष 21 जून, 2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आवंटन कर दिया गया है।

29. कर्मचारी लाभ योजनायें

निर्धारित योगदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कम्पनी दोनों ही पूर्व निर्धारित योगदान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते हैं। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू. 6,639,074 (पिछले वर्ष रू. 5,458,634) की राशि को लाभ-हानि खातों में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनायें कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमाकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमाकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट्रेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमाकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

क्र.स. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
i. निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7,855,495	6,025,647
ब्याज लागत	595,020	443,680
चालू सेवा लागत	2,209,521	1,988,693
लाभ का भुगतान	(255,922)	(266,966)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	641,882	(335,559)
वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	11,045,996	7,855,495
ii. योजना संपत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के प्रारंभ में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	8,320,938	6,264,923
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	783,455	560,468
योगदान	3,802,828	1,836,949
लाभ का भुगतान	(252,560)	(266,966)
योजना संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(135,146)	(74,436)
वर्ष के समापन पर योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	12,519,515	8,320,938
iii. योजना संपत्तियों पर प्राप्ति		
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	783,455	560,468
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(135,146)	(74,436)
योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	648,309	486,032
iv. चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि		
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	11,045,996	7,855,495
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	12,519,515	8,320,938
चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	(1,473,519)	(465,443)
v. लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्च		
वर्तमान सेवा लागत	2,209,521	1,988,693
ब्याज व्यय	595,020	443,680
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(783,455)	(560,468)
वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ)/हानि	777,028	(261,123)
लाभ/हानि खाते में स्वीकृत व्यय	2,798,114	1,610,782
vi. चिट्ठे का मिलान		
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	(465,443)	(239,276)
उपरोक्तानुसार व्यय	2,798,114	1,610,782
योगदान	(3,802,828)	(1,836,949)
वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व/(संपत्तियाँ)	(1,470,157)	(465,443)

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्युटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अर्न्तगत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारे में सूचना सामूहिक ग्रेच्युटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चों हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चों की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

vii. मुख्य बीमांकिक अनुमान	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
बट्टे की दर	7.60 % वार्षिक	7.70 % वार्षिक
अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00 % वार्षिक	10.00 % वार्षिक
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.76 % वार्षिक	7.95 % वार्षिक
संघर्षण दर (Attrition rate)		
30 वर्ष से कम	3%	3%
आयु 31 से 44 वर्ष	2%	2%
आयु 44 और इससे अधिक	1%	1%
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	आई.ए.एल.	आई.ए.एल.
Mortality table used	(2012-14) (अन्तिम)	(2006-08) (अन्तिम)

बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, वरिष्ठता, पदोन्नतियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

viii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान

उपरोक्त vii के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

ix. अनुभव समायोजन

	31.03.2019 (रूपये में)	31.03.2018 (रूपये में)	31.03.2017 (रूपये में)	31.03.2016 (रूपये में)	31.03.2015 (रूपये में)
निर्धारित लाभ का वर्तमान मूल्य	11,045,996	7,855,495	6,025,647	3,782,730	1,983,971
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	12,519,515	8,320,938	6,264,923	4,436,814	1,664,551
पोषित स्थिति	(1,473,519)	(465,443)	(239,276)	(654,084)	319,420
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(641,882)	335,559	(1,053,859)	(225,553)	(166,013)
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(135,146)	(74,436)	(58,762)	(121,748)	(30,661)

30. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज किराया संबंधी रू. 67,57,193 (पिछले वर्ष रू. 64,30,726) के खर्चों को लाभ-हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 8 वर्ष तथा 8 माह के लिए की गई है जो 6 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायका कार्यालय की लीज क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। अन्य कार्यालय परिसर का 11 महिने की अवधि के लिये किरायेनामा है, जिससे केवल Lessee द्वारा Lessor की अनुमति से निरस्त किया जा सकता है।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2019 को स्थिति	31 मार्च 2018 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नहीं	4,015,547	4,109,823
	एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नहीं	5,564,850	8,202,127
	पांच वर्ष बाद देय	-	224,825
		9,580,397	12,536,775

31. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	ईकाई	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष पर
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	133,336,729	168,395,906
	वर्ष के दौरान भारत औसत अदत्त			
	समता अंशों की संख्या	संख्या	3,294,226	2,964,834
	प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश मूल आय	रूपये	40.48	56.80
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु			
	प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या	3,294,582	2,965,002
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	40.47	56.79

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

32. सरकारी अनुदानों का विवरण

क्र.स. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष पर
नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:-		
(अ) प्रारंभिक शेष	(19,695,022)	(2,805,716)
(ब) वर्ष के दौरान प्राप्त	104,042,343	66,417,912
	84,347,321	63,612,196
(स) वर्ष के दौरान उपयोग		
(i). पूंजीगत संपत्तियों के लिये		
-संपत्ति, प्लांट और उपकरण के लिये	657,850	620,695
(ii) आयगत व्यय के लिये	85,056,071	82,686,523
कुल उपयोग (i)+(ii)	85,713,921	83,307,218
(द) शेष को आगे ले गये(अ+ब-स)	(1,366,600)	(19,695,022)

नोट: पूंजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चों में समायोजित कर दिया गया है। (देखें नोट 2k)

33. लेखा-मानक AS-18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" (Related Party Disclosures) का विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी(के.एम.पी)	रतन कुमार सिंह

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन-देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है:-

(राशि ₹ में)

विशिष्टियाँ	मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक:-		
रतन कुमार सिंह	5,566,478	5,566,478
	(4,978,017)	(4,978,017)

कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

34. सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अन्तर्गत आवश्यक प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) लेखांकन वर्ष के समापन पर किसी भी आपूर्तिकर्ता की अदत्त मूल राशि	-	-
(ii) लेखांकन वर्ष के समापन पर किसी भी आपूर्तिकर्ता के बकाया अदत्त राशि पर ब्याज	-	-
(iii) नियुक्ति की दिनांक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान के योग्य ब्याज की राशि	-	-
(v) अर्जित ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के समापन पर अदत्त	-	-
(vi) पूर्ववर्ती वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज की राशि ऐसी दिनांक तक जब तक कि देय ब्याज की राशि का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी राशि बकाया नहीं है।

35. कम्पनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबन्धित है। जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है। चूंकि कम्पनी एक व्यावसायिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए लेखा मानकों AS-17 के अनुसार खण्ड सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

36. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत / पुनः एकत्र किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./-
सुखपाल जाट
निदेशक

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./-
कपिल पचौरी
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10.30 बजे हेडवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़ जयपुर-302027 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:-

1. **31 मार्च, 2019 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-**

“दिनांक 31 मार्च, 2019 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियां और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

2. **कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 37,40,684 समता अंशों पर रू. 3,60,76,741 (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स रू. 61,51,269 शामिल है) वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

3. **श्री सेडमल शर्मा (DIN : 07255050), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री सेडमल शर्मा (DIN : 07255050), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

4. **श्री जयसिंह राठौड़ (DIN : 07253278), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री जयसिंह राठौड़ (DIN : 07253278), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

5. श्रीमती कमला देवी (DIN : 05358651), बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए अनिच्छा (Unwillingness) अभिव्यक्त की है, की सेवानिवृति पर विचार कर अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“श्रीमती कमला देवी (DIN : 05358651), बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि इस सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रही है और उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए अनिच्छा (Unwillingness) अभिव्यक्त की है, उन्हें पुनःनियुक्त नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप “श्रेणी ए” में एक पद रिक्त रहेगा।”

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को पारिश्रमिक रूपये 13,56,000 (अक्षरे तेरह लाख छप्पन हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।

7. 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

“1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

8. श्री सुशील कुमार वैष्णव (DIN : 08527267), को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है और सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), श्री सुशील कुमार वैष्णव (DIN : 08527267) जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./-

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता/त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

टिप्पणी:-

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।
2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
3. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागोदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वगीकृत करने का मापदंड कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया है।
4. **सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:-**

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2018-19), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 104741 सदस्य दर्शाये गये हैं, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2018-19 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:-

- (a) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, “श्रेणी ए” के 4862 सदस्य, “श्रेणी बी” के 10739 सदस्य और “श्रेणी सी” के 27344 सदस्य (कुल 42945 सदस्य) जिन्होंने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तों के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड से सम्बन्धित श्रेणी की शर्तों को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 8 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के पात्र होंगे।
(नोट-कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (“श्रेणी ए” अथवा “श्रेणी बी” अथवा “श्रेणी सी”) के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है)।
- (b) 9533 सदस्य जिन्होंने वोट डालने के लिए कम्पनी की आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होंने अपनी सम्बन्धित श्रेणी के एक या अधिक संरक्षता मापदण्डों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूरा नहीं किया है। इसलिए, सदस्य जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करने वाली तीनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के मापदण्डों को पूरा नहीं किया है और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4, 5 एवं 8) पर वोट नहीं कर सकते हैं हालांकि वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6 और 7 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं।
- (c) कुल 52263 सदस्यों में से 9188 सदस्यों की सदस्यता 31 मार्च, 2019 के पश्चात निरस्त कर दी गई और बाकी 43075 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की

- आपूर्ति नहीं की जिसके कारण उन्हें इस आम सभा में किसी भी प्रस्ताव पर वोट करने का अधिकार नहीं है।
- (d) उपरोक्त उपवाक्य (a), (b), (c) में दर्शाये गये कुल 104471 सदस्यों (42945+9533+52263) में से 9188 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2019 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए ऐसे 9188 सदस्य कम्पनी की आम सभा में भाग नहीं ले सकते और वोट भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होंगे।
- (e) दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल नये 10469 सदस्य जोड़े गये तथा एक सदस्य की सदस्यता निरस्त कर दी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लाभांश के पात्र नहीं होंगे एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है।
- (f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।
- (g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससे सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सकें, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।
5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:-
- (i) निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण।
- (ii) दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न हुई सातवीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
- (iii) 31 मार्च, 2019 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों की रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।
- (iv) वित्तीय वर्ष 2019-2020 का बजट।
6. मद संख्या 8 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) सूचना पत्र के साथ संलग्न है।
7. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।
8. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2019 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।
9. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई सातवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।
10. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आठवीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।
13. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे नामिती फार्म भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

14. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205A(किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश), यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) को 7 वर्षों की अवधि तक दावा/नकदीकरण नहीं करते है तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित कर दी जायेगी।
15. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA (4)(c) के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की योग्यताओं संबंधी विवरण।

कार्यसूची सं. 3, 4 और 8

नाम	श्रेणी	योग्यता	व्यवसाय
श्री सेडमल शर्मा	श्रेणी सी	स्नातकोत्तर, बी.एड एवं बी.पी. एड	कृषि एवं दुग्ध उत्पादन
श्री जयसिंह राठौड़	श्रेणी सी	स्नातक	कृषि एवं दुग्ध उत्पादन
श्री सुशील कुमार वैष्णव	श्रेणी ए	स्नातक	कृषि एवं दुग्ध उत्पादन

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./-

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 02 अगस्त, 2019 में दी गई मद संख्या 8 से संबंधित)

मद संख्या : 8

दिनांक 19 जुलाई, 2019 को हुई नांमाकन समिति की बैठक में नांमाकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री सुशील कुमार वैष्णव (श्रेणी ए के प्रतिनिधि) को कम्पनी के निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री सुशील कुमार वैष्णव, जिनकी योग्यता का विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (4) (C) के अनुसार, इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण कम्पनी के निदेशक मंडल में श्रेणी- ए के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

श्री सुशील कुमार वैष्णव, के अतिरिक्त कम्पनी के कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

नांमाकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 8 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02 अगस्त, 2019

ह./-

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

डी-232, 233, चौथी मंजिल,

अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर,

जयपुर-302 021 (राजस्थान)

दूरभाष नं. 91-141-2352736

Email: info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेडवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 राजस्थान में
सदस्यों की सातवीं वार्षिक आम सभा, सोमवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 समय प्रातः 10:30 बजे को सम्पन्न हुई

जिसकी कार्यसूची का विवरण निम्न है:-

बैठक में उपस्थित सदस्य :-

- | | | | |
|-----|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. | श्री अनिल कुमार | - | अध्यक्ष एवं अंशधारक |
| 2. | श्रीमती मंजू जाखड़ | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 3. | श्रीमती ममता चौधरी | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 4. | श्री सेडमल शर्मा | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 5. | श्री जयसिंह राठौड़ | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 6. | श्री मेवाराम बैरवा | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 7. | श्रीमती गीता देवी गुर्जर | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 8. | श्री सुखपाल जाट | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 9. | श्री नारायण लाल गुर्जर | - | निदेशक एवं अंशधारक |
| 10. | डॉ. ओमवीर सिंह | - | विशेषज्ञ निदेशक |
| 11. | श्री श्रीराम सिंह | - | विशेषज्ञ निदेशक |
| 12. | डॉ. सी. एल. दाधीच | - | विशेषज्ञ निदेशक |
| 13. | श्री रतन कुमार सिंह | - | निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी |
| 14. | श्री अनूप गुप्ता | - | कम्पनी सचिव |

221 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 32201 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।

- (अ) श्री अनिल कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की।
- (ब) कम्पनी सचिव से सुनिश्चित करने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने कोरम पूर्ण की घोषणा की। कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर एवं निदेशक मंडल की समता अंश पूंजी के विवरण का रजिस्टर जांच के लिए उपस्थित था तत्पश्चात सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
- (स) अध्यक्ष महोदय ने सातवीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।
- (द) उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से सातवीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।
- (य) तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।
1. **31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट व ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।**
- 1.1 श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने लेखों पर ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा। तत्पश्चात सदस्यों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विचार-विमर्श किया।
- 1.2 श्री कैलाश चन्द यादव (फोलियो संख्या: 46670) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या 1/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“दिनांक 31 मार्च, 2018 को कम्पनी की अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता, उसकी अनुसूचियां और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

श्री हनुमान (फोलियो संख्या: 113961) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना ।

2.1 श्री रघुवीर सिंह (फोलियो संख्या: 119222) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 2/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 9/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 33,89,389 समता अंशों पर रू. 3,67,74,791/- (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स रू. 62,70,290/- शामिल है) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

श्री श्रवण जाट (फोलियो संख्या: 13310) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती ममता चौधरी (DIN : 07253296), निदेशक मंडल में “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं।

3.1 श्रीमती अंजू देवी (फोलियो संख्या: 2452) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 3/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती ममता चौधरी (DIN : 07253296), जो बोर्ड में “श्रेणी ए” का प्रतिनिधित्व करती है, कम्पनी निदेशक जोकि इस आम सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती गुलाब देवी (फोलियो संख्या: 116212) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारित करना ।

4.1 श्री राम प्रसाद (फोलियो संख्या: 142604) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 4/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को पारिश्रमिक रूपये 12.80 लाख (अक्षरे बारह लाख अस्सी हजार रूपये) एवं लागू होने

वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।

श्री शिवराम यादव (फोलियो संख्या: 43554) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

5.1 श्री नारायण गुर्जर (फोलियो संख्या: 43061) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 5/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट को वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

श्री चुन्नी लाल (फोलियो संख्या: 4732) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्री नारायण लाल गुर्जर को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.1 श्री दयाल राम गुर्जर (फोलियो संख्या: 5063) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 6/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव पारित किया जाता है श्री नारायण लाल गुर्जर (DIN : 08075740) जिनको कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.7 के अनुसार, दिनांक 27.02.2018 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम सभा तक नियुक्त किया गया था, वह निदेशक मंडल में “श्रेणी-ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा योग्यताओं को पूरा करते हुए स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी होंगे।”

श्री बट्टी (फोलियो संख्या: 833) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. श्री रामचरण जाट को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी होंगे।

7.1 श्री रमेश (फोलियो संख्या: 16925) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 7/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार(किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुन-अध्यादेश), श्री रामचरण जाट(DIN :08193547) जो कम्पनी के बोर्ड में “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।”

श्री मनोज कुमार तेतरवाल (फोलियो संख्या: 90658) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. संरक्षता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मापदण्डों पर विचार कर अनुमोदन करना।

8.1 श्री लोकेश कुमार यादव (फोलियो संख्या: 124928) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या 8/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“दिनांक 13.08.2012 को कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या 13/2011-2012 के स्थान पर एवं कम्पनी के अंतर्निर्णयों के अनुच्छेद 9.4 के संदर्भ में, व्यवसाय में सदस्यों की भागीदारी (अर्थात् संरक्षता) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मापदंड नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	मापदंड	श्रेणी-ए	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी*
1	एक वर्ष में कम्पनी को दूध आपूर्ति किये गये दिनों की संख्या	330 दिन या उससे अधिक	270 दिन या उससे अधिक	200 दिन या उससे अधिक
2	कम्पनी को आपूर्ति किये गये वार्षिक दूध की मात्रा (लीटर में)	10000 या उससे अधिक	4000 या उससे अधिक	500 या उससे अधिक
3	एक वित्तीय वर्ष में, शीतकालीन महिनों (नवम्बर से फरवरी) और ग्रीष्मकालीन महिनों (अप्रैल से जुलाई) के दौरान की गई दूध की आपूर्ति की मात्रा	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए
4	कम्पनी के, अंकित मूल्य प्रति अंश (Share) 100/- रुपये, अभिदान किये गये न्यूनतम अंशों की संख्या	100 अंश	40 अंश	5 अंश

***नोट-**

- (अ) वास्तविक अंश पूंजी या आपूर्ति किये गये वास्तविक दूध की मात्रा, जो भी कम हो, श्रेणी वर्गीकरण करने के लिए माना जाएगा।
- (ब) संरक्षता (Patronage) गणना करने के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :
- जिन सदस्यों को गत वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़ा गया है और अभी तक उन सदस्यों ने अपनी सदस्यता के 365 दिनों को पूरा नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा चुनी गई श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक अंश पूंजी ले ली गई है, उन्हें उसी श्रेणी से संबंधित माना जाएगा।
 - कोई भी सदस्य जो श्रेणी ए या श्रेणी बी के तहत मापदंडों को पूरा नहीं करेगा, वह उचित निम्न श्रेणी में वर्गीकरण किया जा सकता है जिसके लिए वह सदस्य मापदंडों को पूरा करता है। हालांकि, वह उस वर्ष में निदेशक मंडल के चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा।

iii. वे सदस्य जो कम से कम श्रेणी सी को बनाए रखने के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, को कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद संख्या 4.3 को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े जाने के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यता निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया जाएगा। तत्पश्चात, निदेशक मंडल इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा।

श्री नानूराम (फोलियो संख्या: 41925) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. सातवीं वार्षिक आम सभा में कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करने पर विचार कर अनुशंसा करना।

9.1 श्री प्रहलाद गुर्जर (फोलियो संख्या: 48406) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 9/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 16 व 94 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 15,00,000 (पंद्रह लाख) समता अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 35,00,000 (पैंतीस लाख) समता अंशों में विभाजित रू 35,00,00,000 (केवल रू. पैंतीस करोड़) से बढ़ाकर 100/- (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 50,00,000 (पचास लाख) समता अंशों में विभाजित रू 50,00,00,000 (अक्षरे पचास करोड़ रूपये) किया जाए।

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों में पुनर्संख्यांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

“vi. कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी रू. 50,00,00,000 (अक्षरे पचास करोड़ रूपये) है, जो रू 100/- (एक सौ रूपये) प्रति शेयर के 50,00,000 (पचास लाख) शेयरों में विभाजित है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी एवं कम्पनी सचिव को पृथक-पृथक रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्री आशा राम धाकड़ (फोलियो संख्या: 142962) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना।

10.1 श्री अशोक कुमार बागड़ा (फोलियो संख्या: 120901) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 10/2018-2019-सातवीं वार्षिक आम सभा/10.09.2018

“प्रस्ताव रखा जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581-ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कंपनी अंतर्नियमों को जहां तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

- (1) वर्तमान अनुच्छेद 4.2 (iii) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें:-
व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नहीं बन सकता है, यदि
(अ) वह किसी प्रकार का व्यवसायिक हित रखता हो जोकि कम्पनी के व्यवसाय के प्रतिकूल हो अथवा
(ब) वह कम्पनी में प्रत्यक्ष रूप से वेतन पंजिका में अथवा ठेकेदार के माध्यम से अथवा किसी भी संविदात्मक आधार पर वित्तीय वर्ष के तुरन्त पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें उससे नामांकित करने का प्रस्ताव है, में लगातार कम से कम 6 माह कार्यरत रहा हो।
- (2) अनुच्छेद 9.6 के उप-अनुच्छेद i- के प्रथम वाक्य में दिये गये शब्द “अनुच्छेद 9.5” के तुरन्त बाद “प्रत्येक वार्षिक आम सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त करने के लिए निदेशकों को उनके अंतिम नियुक्ति के पश्चात कार्यालय में सबसे दीर्घ अवधि से है, परन्तु जो निदेशक उसी दिन निदेशक नियुक्त किए गए हैं। उनके बीच सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक डिफाल्ट रूप से और उनके मध्य किसी भी समझौते के अधीन, बहुत द्वारा निर्धारित (Determined by lot) किया जायेगा” इन शब्दों को रखा जायें।
- (3) अनुच्छेद 9.6 के उप-अनुच्छेद iii के द्वितीय वाक्य में दिये गये शब्द “लगातार कार्यकाल” के तुरन्त बाद “ऐसे निदेशक पद छोड़ने के तीन वर्षों की अवधि के पश्चात, नियुक्ति के पात्र होंगे। अनुच्छेद 9.7 के अंतर्गत निदेशक की नियुक्ति इस अनुच्छेद के तहत कार्यकाल के रूप में नहीं मानी जाएगी” इन शब्दों को रखा जायें।
- (4) वर्तमान अनुच्छेद 9.7 को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें:-
बोर्ड में रिक्तता को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को सहयोजित (Co-opt) कर सकता है बशर्ते है कि आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए चुने गए सदस्य ने कम से कम गत दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को निरन्तर रूप से पूरा किया हो और अगर बोर्ड नियुक्ति के समय निर्णय लेता है, ऐसे अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा या उसे कम अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगे। हालांकि, बोर्ड रिक्त को भरने के लिए ऐसे व्यक्ति को लगातार दो वित्तीय वर्षों में सहयोजित नहीं कर सकता है।
- (5) निम्न नये अनुच्छेद 9.16 xiii को वर्तमान अनुच्छेद 9.16 xii के बाद रखा जायें।
- 9.16 xiii वह या उसका रिश्तेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी में (सदस्यता लाभ के अतिरिक्त), दो प्रतिशत अथवा उससे अधिक सकल कारोबार में अथवा कुल आय में अथवा पच्चीस हजार रूपये या बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अधिक राशि, जो भी कम हो, तुरन्त पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, का आर्थिक संबंध या लेनदेन किया/करता है।
यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”
श्री सावरमल (फोलियो संख्या: 234) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
11. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अतः अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ सभा सम्पन्न हुई।

ह./-
अध्यक्ष

दिनांक : 10 सितम्बर, 2018

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2019-2020 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	912,103
व्यापार (दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद)	रूपये लाखों में	144,985
अन्य आय	रूपये लाखों में	897
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रूपये लाखों में	125,310
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	19,242
कुल व्यय	रूपये लाखों में	144,552
कर से पूर्व लाभ (अ-ब)	रूपये लाखों में	1,329
	% विक्रय पर :	0.91%

(ब) पूंजीगत बजट 2019-2020

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	332
ऑफिस उपकरण	रूपये लाखों में	10
लैब उपकरण	रूपये लाखों में	50
आई.टी. उपकरण	रूपये लाखों में	120
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रूपये लाखों में	40
कुल	रूपये लाखों में	552



पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--	--	--

सदस्य
कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.....निवासी.....

..... पायस मिलक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का

सदस्य एतद्वारा श्री/श्रीमती..... फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

निवासी और उनकी अनुपस्थिति

में श्री/श्रीमती फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

निवासीको

कम्पनी की सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10.30 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली आठवीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट करने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ।

₹1/-
रेवेन्यू टिकट

(हस्ताक्षर)

दिनांक को हस्ताक्षर किये गये।

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

बुक-पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,

वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान

दूरभाष नं. +91-141-4202108

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

(Dispatched by Linkintime India Pvt. Ltd., New Delhi)